कार्यालयः–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा, जिला–दौसा(राज.)

क्रमांक स्था./2026/79 दिनाँक 12-05-26

संशोधित कार्यालय आदेश

मैं उमेश वीर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा, दौसा प्रशासनिक आधार पर इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक स्था./2026/07 दिनाँक 22.01.2026 में अंशिक संशोधन करते हुए दौसा न्याय–क्षेत्र में स्थापित पुलिस थाना सिकन्दरा के प्रकरणों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संस्वीकृतियों को कथनों को अभिलिखित करने हेतु अग्रिम आदेश तक निम्न प्रकार मजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँः–

क्र. सं.	आरक्षी केन्द्र का नाम	183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट	नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से लिंक मजिस्ट्रेट	नियुक्त मजिस्ट्रेट व लिंक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से।	कॉलम संख्या दो तीन व चार में नियुक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से।
	01	02	03	04	05
01	सिकन्दरा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा

नोटः–शेष पूर्व आदेश यथावत रहेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला–दौसा
दिनाँक 12-5-26

क्रमांकः– 1243
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–
01–माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
02–श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, दौसा
03–न्यायालय
04–आरक्षी केन्द्र
05–उप– निदेशक अभियोजन विभाग, दौसा
06–श्री अध्यक्ष /सचिव अभिभाषक संघ, दौसा, महवा, बांदीकुई, लालसोट, सिकराय
07–सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु
08–आदेश पत्रावली

13/5/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला–दौसा